रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2338] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2011/अग्रहायण 23, 1933
No. 2338] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2011/AGRAHAYANA 23, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2795(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 के 0.000 कि.मी. से 131.695 कि.मी. तक(झांसी से लखनादौन सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 पर 49.70 कि.मी. से 99.005 कि.मी. तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर चार लेन के खण्ड के उपयोग हेतु नैट सड़क खण्ड की लम्बाई 31.175 कि.मी. के लिए सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) पर और दस करोड़ अथवा अधिक की लागत वाले बाइपासों पर आधार दर का डेढ़ गुना की दर से फीस उद्ग्रहीत करती है, और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों की मार्फत या संविदाकार की मार्फत उक्त फीस का संग्रह करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक(दो एक्सलवाले)	2.20
तीन एक्सलवाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण सामग्री(एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(ईएमई) अथवा मल्टी एक्सल यान (एमएवी)(चार से छह एक्सलवाले)	3.45
बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक एक्सल वाले)	4.20

टिप्पणियां :

1. इसके अधीन उदग्रहीत तथा संग्रहीत फीस देय और ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की नैट लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर संदेय होगी :

टोल प्लाजा का अवस्थिति (लोकेशन)(चैनेज)	लम्बाई कि.मी. में जिसके लिए फीस संदेय है
कि.मी.85.28(ललितपुर जिले में वीगाखेत गांव के पास)	31.175

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई हेतु आधार दर के डेढ़ गुना दर से निम्नलिखित फीस भी देय तथा संदेय होगी :

टोल प्लाजा(ओं)(चैनेज) की अवस्थिति	बाइपास की लम्बाई(कि.मी. में जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है
85.280 कि.मी.(ललितपुर जिले में वीगाखेत गांव के पास)	7.150
85.280 कि.मी.(ललितपुर जिले में वीगाखेत गांव के पास)	3.025
85.280 कि.मी.(ललितपुर जिले में वीगाखेत गांव के पास)	1.850
85.280 कि.मी.(ललितपुर जिले में वीगाखेत गांव के पास)	6.105

3. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00(एक सौ नब्बे रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क(दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के पुनरीक्षण अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहु-यात्रा(मल्टीपल जर्नी) के लिए पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्

संदेय राशि	अनुमत एक मार्गीय (वन वे) यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एम मार्गीय यात्रा(वन वे जर्नी) के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं (सिंगल जर्नीज) के लिए संदेय फीस की दो-तिहाई राशि	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. वह जिला जिसमें फीस प्लाजा पड़ता है उस जिले में रजिस्टीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा परन्तु ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक यान (मेकेनिकल वहीकल्स) नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुमत्य भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें ऐसी दरों पर फीस का भुगतान करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया गया हो ।

7. यांत्रिक यानों, उनके लिए अनुमत्य भार, छूटप्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक रोड आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में निर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, फीस की दरों का वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा परन्तु छह महीने के अन्दर कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

10. परियोजना की प्रक्कलित पूंजीगत लागत 316 करोड़ रूपए है । प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से उद्ग्रहीत फीस के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाई गई फीस की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनमें वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सी.ओ./603/010-11/जीसी झांसी (झांसी-ललितपुर)]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2011

S.O. 2795(E).—Whereas by notification of the Government of India in the *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O 465 (E) dated *26/04/2002* issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.00 to kilometer 131.695 (Jhansi to Lakhnadon section) of National Highway No. 26 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules") ,the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table for net road section length 31.175 KM (hereinafter referred to as "base rate") for the use of four lane section and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees Ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table below, for the use of the section from kilometer 49.70 to kilometer 99.005 on the National Highway No. 26 in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 85.28 (near Vigakhet village in Lalitpur district)	31.175

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km 85.280 (near Vighakhet village in Lalitpur district)	7.150
Km 85.280 (near Vighakhet village in Lalitpur district))	3.025
Km 85.280 (near Vighakhet village in Lalitpur district)	1.850
Km85.280 (near Vighakhet village in Lalitpur district)	6.105

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (Rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

4526 GI/11-2

9. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 316 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/603/010-11/GC-Jhansi (Jhansi-Lalitpur)]

B. B. MAHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.